



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102021-230414
CG-DL-E-14102021-230414

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3916]
No. 3916]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 14, 2021/ आश्विन 22, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ ASVINA 22, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4263(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा “पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग” चण्डीगढ़ (पैन-AAAGT0052L), जो कि पंजाब की राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक आयोग है को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, नामतः :-

- (क) शुल्क निर्धारण के लिए प्रसंस्करण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि;
- (ख) लाइसेंस शुल्क के रूप में प्राप्त राशि;
- (ग) याचिका शुल्क के रूप में प्राप्त राशि; तथा
- (घ) बैंक जमा पर अर्जित व्याज आय की राशि।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग, चण्डीगढ़,-
- (क) किसी व्यावसायिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा;
 - (ख) वित्तीय वर्षों के दौरान गतिविधि तथा निर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और
 - (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) खण्ड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।
3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 तथा 2025-2026 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 121/2021 फा.सं. 300196/5/2021-आईटीए-I]

सौरभ जैन, अवर सचिव